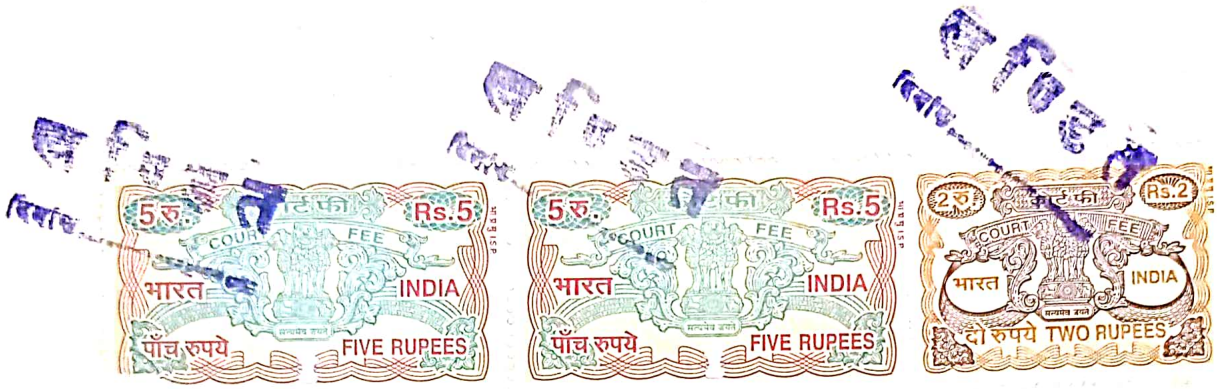
नकल



वकल सवाल संख्या-203 स्टाम्प-12/- शब्द संख्या लगभग- 960-

न्यायालय उप जिलाधिकारी खेकड़ा, जनपद बागपत

वाद संख्या- T2019110802001183 धारा - 80 सी0 पी0 सी0

सुधीर कुमार आदि बनाम ग्राम सभा

मौजा - रावण उर्फ बड़ागाँव

(संलग्न नकल आदेश दि0 10/5/19 कुल तीन पेज)

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मेरठ,जनपद :बागपत,तहसील :खेकडा
वाद सख्या :-00183/2019
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T201911080200183
सुधीर कुमार आदि बनाम ग्राम सभा
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

मौजा– रावण उर्फ बडागॉव

1– सुधीर कुमार पुत्र राम सिंह
2- विकास कुमार पुत्र राम सिंह
3- कवरपाल पुत्र पूरण सिंह
समस्त निवासीगण ग्राम मवीकला तहसील खेकडा जनपद

.....वादीगण

बनाम

1– ग्राम सभा रावण उर्फ बडागॉव तहसील खेकडा जनपद बागपत।

.....प्रतिवादी

निर्णय

आवेदक सुधीर कुमार आदि द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व सहिता की धारा 80(1) के अन्तर्गत मौजा ग्राम रावण उर्फ बडागॉव के खाता संख्या 00361 के खसरा संख्या 969 एवं 967 रकबा 0.9025 हेक्टयर लगानी परतानुसार वर्तमान खाता संख्या 504 के खसरा संख्या खसरा संख्या 967/2 रकबा 0.1620 हेक्टयर एवं खसरा संख्या 969/2 रकबा 0.3212हैक्टेयर, खसरा संख्या 967/3 रकबा 0.1620हैक्टेयर, खसरा संख्या 969/3 रकबा 0.3212हैक्टेयर भूमि लगानी रू0 46.00 पैसे मे से रकबा 0.9024है0 भूमि के अकृषिक उदघोषणा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदक द्वारा आवेदन मे भूमि को आबादी के रूप में इस्तेमाल करना अंकित किया गया है। आवेदन पत्र के साथ शपथपत्र, फर्द खतौनी फसली वर्ष 1420 ता 1425 खाता संख्या 361 एवं फसली वर्ष 1426 ता 1431 खाता संख्या 504 प्रस्तुत की गई।

प्रार्थी/वादी सुधीर कुमार आदि द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र/वादपत्र पंजीकृत किया गया तथा तहसीलदार खेकडा से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार खेकडा की रिपोर्ट दिनांक 24.04.2019 प्राप्त हुई। लेखपाल/राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट में उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि मौजा ग्राम रावण उर्फ बडागॉव के खाता संख्या 00504 के खसरा संख्या 967/2 रकबा 0.1620 हेक्टयर एवं खसरा संख्या 969/2 रकबा 0.3212हैक्टेयर, खसरा संख्या 967/3 रकबा 0.1620हैक्टेयर, खसरा संख्या 969/3 रकबा 0.3212हैक्टेयर भूमि लगानी रू0 46.00 पैसे में से वादी सुधीर कुमार आदि द्वारा क्षेत्रफल 0.9024 हेक्टेयर भूमि बैनामा द्वारा क्रय की गई है। राजस्व अभिलेखों सुधीर कुमार आदि का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। प्रश्नगत भूमि में वादी द्वारा कृषि कार्य करना बन्द करके चारदीवारी बना ली है तथा निर्माण कार्य चल रहा है। तहसीलदार खेकडा ने अपनी आख्या में स्पष्ट अंकित किया है कि-**"मेरे द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण किया गया। मौके पर प्रश्नगत भूमि पर गोल्डन गेट स्कूल की बिल्डिंग बनी है तथा चारदीवारी हो रही है। अतः प्रश्नगत भूमि को उ0प्र0रा0 संहिता 2006 की धारा-80 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की जाती है।"**

तहसीलदार की रिपोर्ट पर सुनवाई हेतु नियत दिनांक 02.05.2019 को न्यायालय में वादीगण स्वय उपस्थित हुए और उसके द्वारा बताया गया। खसरा संख्या 967/2, 967/3 एवं 969/2, 969/3

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मेरठ,जनपद :बागपत,तहसील :खेकडा
वाद सख्या :-00183/2019
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T201911080200183
सुधीर कुमार आदि बनाम ग्राम सभा
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

क्षेत्रफल 0.9024 हेक्टेयर में हमारे द्वारा गोल्डन गेट स्कूल की बिल्डिंग बनाई जा रही है। लगभग 80प्रतिशत निर्माण पूर्ण हो चुका है। तहसीलदार खेकडा की रिपोर्ट के साथ अकृषिक कराये जाने वाली भूमि में निर्माण कार्य के फोटोग्राफस संलग्न है। प्रार्थी/वादी सुधीर कुमार आदि ने न्यायालय में भूमि को अकृशिक काराये जाने के प्रयोजन के बारे में बताया कि उक्त भूमि में स्कूल स्थापित कर दिया गया है। प्रार्थी/वादी को सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो यथा फोटोग्राफस्, शपथपत्र आदि तथा प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष किए गए कथनों से तहसील रिपोर्ट की पुष्टि होने को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक के आवेदन पत्र एवं तहसीलदार की रिपोर्ट एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों से यह समाधान हो गया है कि आवेदक का गैर कृषिक घोषणा हेतु किया गया आवेदन पात्रता की श्रेणी में अर्थात स्वीकार किये जाने योग्य पाते हुए अकृषिक घोषणा किये जाने से पूर्व आवेदक से निर्धारित उदघोषण शुल्क जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व सहिता नियमावली के नियम 85(2) में प्रावधानित 01 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क अकृषिक कराये जाने वाली भूमि का वर्तमान में प्रभावी कलक्टर द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार किया जायेगा, तथा उत्तर प्रदेश राजस्व सहिता नियमावली 2016 के नियम 191 के परिषिश्ट-(1) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार न्याय शुल्क इसी नियम 191(4) के अन्तर्गत जोकि कोर्ट फीस एक्ट 1970 के अनुसार देय होगा। न्यायालय शुल्क वही होगा जो संहिता के नियम 85(2) में वर्णित है अर्थात वह उद्धघोषणा शुल्क के समतुल्य होगा।

मौजा रावण उर्फ बडागॉव वर्तमान में प्रभावी मूल्यांकन सूची दिनांक 01.08.2016 के अनुसार भाग-2 के प्रारूप 4 पेज 27 कोड 1019 के अन्तर्गत 1,52,00,000/-रूपये प्रति हेक्टयर निर्धारित है। जो विक्रय पत्र दिनॉक 15.03.2018 में स्पष्ट रूप से अंकित है। इसलिए सामान्य कृषि भूमि हेतु निर्धारित दर दर 01 करोड 50 लाख रूपये से भूमि का क्षेत्रफल 0.9024 मूल्यांकन 1,37,16,500/- होता है जिसका 01 प्रतिशत धनराशि रू0 1,37,165/-(एक लाख सैतीस हजार एक सौ पैसठ रूपये) होता है। इस प्रकार प्रश्नगत भूखण्ड को अकृषिक घोषित कराये जाने से पूर्व वादीगण उद्धघोषणा शुल्क 1,37,165/-रूपये धनराशि चालान के माध्यम से जमा कराये तथा इसी अनुसार न्याय शुल्क अंकन 1,37,1650/-रूपये का छपे हुए कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में जमा किये जाने के आदेश दिनॉक 02 मई,2019 को पारित किया गया। आदेश दिनॉक 02 मई,2019 के अनुपालन में वादीगण की ओर से उद्धघोषणा शुल्क 1,37,165/-रूपये धनराशि चालान संख्या 8300/01/EA25876 दिनॉक 10 मई,2019 के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक बागपत में जमा की गई तथा इसी अनुसार न्याय शुल्क अंकन 1,37,200/-रूपये का छपे हुए कोर्ट फीस स्टाम्प दाखिल किये गये।

आवेदकगण/वादीगण द्वारा जमा की गई धनराशि का चालान एवं भारतीय कोर्ट फी स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करने एवं उक्त निर्देशो के पालन में शपथपत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध आवेदन पत्र एवं तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 24.04.2019 से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि का प्रयोग कृषि कार्य या कृषि सम्बंधित प्रयोजन हेतु नही किया जा रहा है बल्कि भूमि को आवासीय प्रयोज्य में लाए जाने हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है। अतः आवेदक का गैर कृषिक घोषणा हेतु किया गया आवेदन पात्रता की श्रेणी पाते हुए भूमि स्थित मौजा ग्राम रावण उर्फ बडागॉव के खाता संख्या 00504 के खसरा संख्या 967/2 रकबा 0.1620

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मेरठ,जनपद :बागपत,तहसील :खेकडा
वाद संख्या :-00183/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201911080200183
सुधीर कुमार आदि बनाम ग्राम सभा
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

हेक्टयर एवं खसरा संख्या 969/2 रकबा 0.3212हैक्टेयर, खसरा संख्या 967/3 रकबा 0.1620हैक्टेयर, खसरा संख्या 969/3 रकबा 0.3212हैक्टेयर भूमि लगानी रू0 46.00 पैसे में से क्षेत्रफल 0.9024 हेक्टेयर भाग अकृषिक किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः स्थित मौजा ग्राम रावण उर्फ बडागॉव के खाता संख्या 00504 के खसरा संख्या 967/2 रकबा 0.1620 हेक्टयर एवं खसरा संख्या 969/2 रकबा 0.3212हैक्टेयर, खसरा संख्या 967/3 रकबा 0.1620हैक्टेयर, खसरा संख्या 969/3 रकबा 0.3212हैक्टेयर भूमि लगानी रू0 46.00 पैसे में से क्षेत्रफल 0.9024 हेक्टेयर भाग अकृषिक घोषित करते हुए भू-राजस्व से मुक्त किया जाता है तदनुसार खतौनी में प्रविष्टि हेतु परवाना अमलदरामद जारी हो। परवाने की एक प्रति सब रजिस्ट्रार खेकडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाए। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

दिनॉक 10 मई ,2019

(पुलकित गर्ग)
उप जिलाधिकारी
खेकडा

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक 12.6.19

कीमत टिकट...12/-
लिखि प्रार्थना पत्र..12/6/19
लिखि तारीख 12/6/19
लिखि दी गयी...12/6/19
हस्ताक्षर...